D.P. I (H) IInd Paper

Dr. Punam Kumari
Dept of Pol. Sc.
S.N.S. R.K.S. college
Saharsa

Supreme court of the U.S.A

(संयुक्त राज्य अमेरीका का सर्वोच्च न्यायालय)

सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शासन का तीसरा अंग है। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धान्त है। इन सिद्धान्तों की रक्षा समुचित न्याय-व्यवस्था के बिना नहीं हो सकती। साधारण अर्थ में विधियों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति को इतना व्यापक कर लिया कि यदि इंगलैंड संसदीय प्रभुसत्ता के लिए जाना जाता है तो न्यायिक सर्वोच्चता अमरीकी संविधान का प्रधान लक्षण बन गई।

संगठन — अमरीकी संविधान के अनुसार 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यूयार्क नगर में की गयी। वर्तमान में यह वाशिंगटन में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार काँग्रेस को है। समय-समय न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है। इस समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 9 सह न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किन्तु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा आवश्यक है।

कार्यकाल — अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश पद पर नियुक्त होता है। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर, पूरे वेतन पर पदमुक्त हो सकता है। उसे केवल महाभियोग द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है।

योग्यताएँ – अमरीका में प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, जो ख्यातिप्राप्त वकील, कानून के प्राध्यापक सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रशासकीय अधिकरणों के परामर्शदाता रह चुके हों। प्रायः जिस दल के राष्ट्रपति रहते हैं, उसी दल के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ की जाती।

वेतन – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन काँग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें वृद्धि तो हो सकती है परन्तु कटौती नहीं हो सकती है।

महाभियोग :- अमरीकी काँग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। परन्तु दोनों [illegible] सदनों के दो तिहाई बहुमत का होना जरूरी है।

कार्य प्रणाली :- अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारम्भ होता है तथा जून के शुरु में समाप्त होता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है। मुकदमों की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6: न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। मुकदमों का निर्णय बहुमत से होता है।

क्षेत्राधिकार :- अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं :-

(1) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार :- सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक न्यायक्षेत्र के सम्बन्ध में संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि उन सब मामलों में जिनका सम्बन्ध राजदूतों से, राज्य के मंत्रियों से अथवा अन्य अधिकारियों से हो, और उन सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक होगा। ऐसे विवाद भी जिनमें एक तरफ संघ तथा

दूसरी तरफ राज्य हो या दोनों तरफ राज्य ही हो, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं।

(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार :— अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय में निम्नतर के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध नहीं राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध ~~सभी~~ अपील नहीं हो सकती। वहाँ अपील का अधिकार सिर्फ निम्नांकित विषयों तक सीमित है—

(1) संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो।

(2) राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्य के उस कानून को वैध ठहराये।

इसके अतिरिक्त, राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है यदि उच्चन्यायालय अपील की अनुमति दे।

(3) न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार :— इस अधिकार के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कॉंग्रेस तथा राज्यों के विधान-मण्डलों ~~के~~ द्वारा बनायी गई विधियों की संवैधानिकता पर विचार करता है तथा उन्हें वैध या अवैध घोषित करता है।

(4) संवैधानिक अधिकारों का संरक्षक :— सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेश, परादेश तथा लेख आदि के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, साथ ही संविधान की व्याख्या तथा रक्षा भी करता है।

(5) अन्य अधिकार— सर्वोच्च न्यायालय अनेक प्रशासकीय कार्य करता है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता। इस दृष्टि से वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है।

इस प्रकार अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली तथा संगठन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय है।

—— X ——